आदेश की क्र0सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित तारीख
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

अधिहरण वाद संख्या-01/2017

संतोष यादव - अपीलार्थी

बनाम्

राज्य सरकार एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार - प्रतिपक्षी

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता :- बृन्द बिहारी प्रसाद यादव

प्रतिपक्षी की ओर से अधिवक्ता :- नवीन कुमार गुप्ता

25.2.22

आदेश

यह अपील आवेदन प्राधिकृत पदाधिकारी -सह- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा अधिहरण वाद संख्या-08/2016 में दिनांक-03.11.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

मामलें का तथ्यात्मक विवरण यह है कि दिनांक 06.05.2016 को वन कर्मचारियों के द्वारा गश्ती के क्रम में रात्री करीब 9 बजे जगलदगा पी0एफ0 से अवैध कोयला उत्खन्न कर ले जाते समय जगलदगा ग्राम के एन0एच0 75 के पास महिन्द्रा ट्रैक्टर (ट्रॉली सहित) नं0 JH19A-3670 में अवैध रूप से लदे 03 टन कोयला एवं हीरो होण्डा मोटरसाईकल चेचीस नं0- MBLHA11CRA9G04045 एवं दो सीम वाला एक नोकिया मोबाईल को जप्त किये जाने के उपरान्त अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, लातेहार को अधिहरण की कार्यवाही की सूचना देते हुए भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम, 1989) में संदर्भित धाराओं के तहत् अधिहरण वाद संख्या- 08/2016 पंजीकृत किया गया। वाहन मालिक को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिया गया तथा गलती स्वीकारोक्ति के पश्चात् राजसात् किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जिस घटना को दिखाकर मोटरसाईकल जप्त किया गया एवं जेल भेजा गया, वह सरासर गलत है। अपीलार्थी का जप्त कोयला एवं ट्रैक्टर से कोई संबंध नहीं है। ये अपने काम वास्ते चन्दवा से मोटरसाईकल से आ रहे थें, जिसके क्रम में जगलदगा के पास मोटरसाईकल खराब हो गया था। इसी क्रम में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा शक के आधार पर मोटरसाईकल एवं दो सीम सहित नोकिया मोबाईल जप्त कर लिया गया। रात्रि होने का लाभ उठाते हुए वन कर्मचारियों द्वारा आवेदक को बाजबरजस्ती एवं डरा-धमका कर लिखवा लिया कि जगलदगा से कोयला लाते हुए पकड़ा गया है। जेल से रिहा होने के बाद अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि विभाग से केस नहीं लड़ना चाहते हैं तथा न्यायहित में मोटरसाईकल एवं सीम सहित मोबाईल फोन मुक्त करने का अनुरोध किया गया। परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा आवेदक के निवेदन को दरकिनार करते हुए मोटरसाईकल एवं दो सीम वाला मोबाईल को जप्त कर लिया

गया, जो नियम विरुद्ध है। इतना हीं नहीं वन अधिकारी के न्यायालय द्वारा कोई गवाह प्रस्तुत करने का न तो आदेश दिया गया और नहीं किसी से गवाही लिया गया। इस तरह राजसात की प्रक्रिया संदेहास्पद एवं अनुचित प्रतीत होता है। फलस्वरूप न्यायहित में आवेदक का अपील स्वीकृत करते हुए प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा अधिहरण वाद संख्या–08/2016 में दिनांक 03.11.2016 के पारित आदेश को निरस्त किया जाय।

प्रतिपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में पक्ष रखा गया कि यह वाद अधिहरण वाद संख्या– 08/2016 में दिनांक 03.11.2016 के पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है, जो पोषणीय (Maintainable) नहीं है। अपील आवेदन समय सीमा के अन्दर दाखिल नहीं किया गया है और न हीं विलम्ब हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के तहत् कोई आवेदन दिया गया है। वाहन का राजसात पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पारदर्शी तरीके से की गयी है, जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए उनके पक्षों को ध्यान पूर्वक सुना गया है। जप्त मोटरसाईकल चेचीस सं0– MBLHA11CRA9G04045 के धारक संतोष यादव द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक 16.05.2016 को चन्दवा से अपने घर जाने के क्रम में जगलदगा के पास मोटरसाईकल पंक्चर हो गया था, जिसे वन विभाग द्वारा जप्त कर लिया गया है। यह कहना उनका कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। बल्कि उक्त मोटरसाईकल से अवैध कार्य में लगे हुए ट्रैक्टर का पेट्रोलिंग (निगरानी) किया जा रहा था तथा इनका वाहन अपराध में संलिप्त था। इनका यह कहना कि रात्रि होने के कारण वन कर्मी जबरदस्ती हस्ताक्षर करा लिये। यदि वन कर्मी द्वारा जबरदस्ती हस्ताक्षर कराया गया था तो उनके विरुद्ध वरीय अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। साथ ही इनके द्वारा अपनी गलती भी स्वीकार किया गया है। राजसात की प्रक्रिया पूर्ण न्यायसंगत व विधिपूर्ण तरीके से की गई है। अपीलार्थी द्वारा निर्दोष होने का किसी भी प्रकार का दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस तरह अपीलार्थी के अपील वाद खारिज किया जाय।

यह न्यायालय दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने एवं प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार द्वारा अधिहरण वाद संख्या–08/2016 में दिनांक– 03.11.2016 के पारित आदेश का अवलोकन करने के पश्चात् इस बिन्दु पर विचार करता है कि वन्य जीवों, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, वनस्पतियों और जीव–जन्तुओं की रक्षा और वन सम्पदा को राष्ट्रीय धन के रूप में राज्य के परस्पर विरोधी हित के बीच संतुलन बनाये रखना है। एक ओर देश/ राज्य के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का ध्यान रखना है तो दूसरे ओर कानूनों के तहत् गारंटीकृत किया गया है। इस न्यायालय को प्रतीत होता है कि विरोधी हितों का एक अच्छा संतुलन बनाने की दृष्टि से विभागीय कार्रवाई किया जाय। यह सत्य है कि वन अधिनियम के तहत् वाहन के रिहाई के आदेश से अपराधियों को वन सम्पतियों के अपराध करने के लिए प्रोत्साहन/ बल मिल जाता है।

निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के साथ उपलब्ध दस्तावेज में मोटरसाईकल एवं दो सीम वाला नोकिया मोबाईल नं0 9931091749 तथा

7870192491 से किसी दूसरे व्यक्ति को जगलदगा पी0एफ0 से अवैध कोयला उत्खनन किये जाने की सूचना आदान-प्रदान में उपयोग किये जाने का जिक्र/साक्ष्य संधारित नहीं है। संदेह के आधार पर यह कहना न्यायोचित नहीं होगा की अवैध कार्य में लगे ट्रैक्टर का पेट्रोलिंग (निगरानी) मोटरसाईकल एवं मोबाईल से किया जा रहा था तथा संदेह के आधार पर मोटरसाईकल एवं मोबाईल का राजसात करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपीलार्थी के अपील अवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
लातेहार।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
लातेहार।

Digitally signed by Abu Imran
Date: 2022.04.08 14:08:39 +05:30
Location: 10.93.47.14